



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार - 249404

संख्या: 449/01/डॉ0आर0(डिग्री) / सेवा-2/2021-22

दिनांक: 08 नवम्बर, 2024

अधिमानी अर्हता विषयक सूचना

इतिहास (HISTORY) विषय हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 (यथा संशोधित) में उल्लिखित प्राविधान के क्रम में A.P.I. स्कोर के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार संशोधित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 29 अगस्त, 2024 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 13 सितम्बर, 2024 तक अभिलेख प्राप्त किये गए थे, जिसके क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास (HISTORY) विषय के निम्न अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिमानी अर्हता के संबंध में किये गये दावे से संबंधित प्रमाण—पत्र उपलब्ध न कराने के कारण निम्न तालिका के कॉलम-3 के अनुसार मा0 आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के दावे को मान्य नहीं किया गया है:-

क्र० सं०	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3
1.	511116	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालयों में संविदा प्रवक्ता एवं अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित परिशिष्ट-05 प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः मा0 आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत बोनस अंक का दावा मान्य नहीं किया गया है।
2.	510426	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालयों में अंशकालिक प्रवक्ता का दावा किया गया है जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित परिशिष्ट-05 प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः मा0 आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत बोनस अंक का दावा मान्य नहीं किया गया है।
3.	510423	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत वाद—विवाद, सेमीनार, खेल—कूद एवं पाठ्येत्तर क्रियाकलाप का दावा किया गया है, जिसके क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः मा0 आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं किया गया है। 2. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालयों में अंशकालिक प्रवक्ता का दावा किया गया है जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित परिशिष्ट-05 प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः मा0 आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत बोनस अंक का दावा मान्य नहीं किया गया है।

अभ्यर्थी उपरोक्त अधिमानी अर्हता सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं, तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404 के कार्यालय को दिनांक 25.11.2024 (सोमवार) के साथ 06:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd-

(गिरधारी सिंह रावत)

सचिव।